

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या - 11/2017
दिनेश मराण्डी बनाम ओ0एन0जी0सी0

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

29-11-2017

- :: आदेश :: -

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अविलोकन किया। आवेदक दिनेश मराण्डी पिता स्व0 मनाराम मांझी साकिन ग्राम-केरीबन्दा, पो0-हेसागढ़ा, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपत्ति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु नीचे वर्णित भूमि को बिक्री करने की अनुमति आवेदन पर वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संबंधित अंचल कार्यालय, माण्डू से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दायर आवेदन में अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा)(एकड़)
केरीबन्दा	माण्डू/ 124	07	263, 264, 265, 266, 267, 268	1.75 एकड़
कुल रकवा				1.75 एकड़

अंचल अधिकारी, माण्डू का पत्रांक 1550 (क) दिनांक 27.11.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में दुखी मांझी पिता जुगल मांझी कौम सौताल के नाम से रैयती दर्ज है। खतियानी रैयत का वंशवृक्ष ग्राम में जाकर ग्रामसभा आयोजन कर बनाया गया है, जिसकी प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ओ0एन0जी0सी0 को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु लीज में देना चाहते हैं। लीज में भूमि देने के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं।

अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपत्ति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु नीचे वर्णित भूमि को पट्टा (लीज) में देने हेतु अनुशंसा की गई है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा अनुशंसित भूमि रकवा) एकड़ में
केरीबन्दा	माण्डू/ 124	07	263	0.97 एकड़
			264	0.05 एकड़
			265	0.07 एकड़
			266	0.09 एकड़
			267	0.51 एकड़
			268	0.06 एकड़
कुल जमा रकवा				1.75 एकड़ (एक एकड़ पच्चतरह डिसमिल)

अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपत्ति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु पट्टा (लीज) में 12 (बारह) वर्षों की अवधि के लिए नीचे वर्णित भूमि हस्तांतरण करने की अनुमति हेतु निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:-

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (हस्तांतरण अनुमति कुल रकवा) एकड़ में
केरीबन्दा	माण्डू/ 124	07	263	0.97 एकड़
			264	0.05 एकड़
			265	0.07 एकड़
			266	0.09 एकड़
			267	0.51 एकड़
			268	0.06 एकड़
कुल जमा रकवा				1.75 एकड़ (एक एकड़ पच्चतरह डिसमिल)

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत द्वितीय पक्ष मेसर्स ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 किसी भी कारण से या कोल बेड मिथेन के दोहन कार्य का उद्देश्य पूर्ण होने पर प्रश्नगत भूमि को किसी तीसरे पार्टी को न तो हस्तांतरित करेंगे और न ही पट्टे पर देंगे। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नहीं हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगे।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(3) के आलोक में बिक्रेता द्वारा क्रेता को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तान्तरण नहीं होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नहीं होगा।


4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।


5. क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू-लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तान्तरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

7. अवर निबंधक, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा विक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचन/शर्तों के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।